उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-20/2019/360/92-2-19-45जांच/2016
लखनऊ:: दिनांक:: 06 फरवरी, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बस्ती द्वारा समाज कल्याण विभाग योजनान्तर्गत विकास खण्ड-रामनगर के ग्राम गन्धरिया बुजुर्ग में कराये गये इण्टरलांकिग कार्य की मुख्य प्राविधिक परीक्षक (तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ) की जांच के फलस्वरूप परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 9,571.65 हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री वी0के0 सिंह गौर, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बस्ती के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-26/ 2018/323/92-2-18-45जांच/2016 दिनांक 09-02-2018 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-कानपुर को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-कानपुर के पत्र सं0-606/ग्रा0अ0वि0/अनु0जांच/बस्ती/एस0टी0/2018-19, दिनांक 09-08-2018 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी।

2- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त श्री वी0के0 सिंह गौर, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बस्ती पर अधिरोपित कुल 02 आरोपों में से कोई भी आरोप स्थापित न पाये जाने के दृष्टिगत श्री गौर के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 09-02-2018 द्वारा प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-20/2019/360/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2- श्री वी0के0 सिंह गौर, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बस्ती सम्प्रति प्रखण्ड-आजमगढ द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in